<u>मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल</u>

कमांक 01–07/छ.ग./3167 **जबलपुर, दिनांक 18.06.2010**

<u>परिपत्र</u>

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तारतम्य में भारत शासन द्वारा गठित राज्य सलाहकार समिति–वि.मं. द्वारा पूर्ववर्ती म. प्र. विद्युत मण्डल के राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अंतिम राज्य आवंटन संबंधी आदेश जारी किये गये थे । इसके पश्चात दोनों उत्तरवर्ती राज्य विद्युत मण्डलों/संबंधित विद्युत मण्डलों की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत राज्य स्तरीय एवं गैर राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पारिवारिक कठिनाईयों, पति–पत्नी के एक ही राज्य में सेवारत रहने एवं गृह राज्य में अनुसूचित जाति/जन जाति संबंधी लाभों के परिप्रेक्ष्य में पारस्परिक /वैयक्तिक स्थानांतरण के आवेदन/प्रस्ताव विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए हैं।

दोनों उत्तरवर्ती राज्य विद्युत मण्डलों/पावर कम्पनियों द्वारा सहमति उपरान्त निर्णय लिया गया है कि उक्त संदर्भित कारणों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 1.11.2000 की स्थिति में म. प्र. विद्युत मण्डलं में कार्यरत राज्य एवं गैर राज्य स्तरीय संवर्गों में पारस्परिक स्थानांतरण अथवा पति पत्नी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला कर्मचारियों की पारिवारिक कठिनाइयों संबंधी स्थानांतरण प्रकरणों के ऊपर विचार हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2010 निर्धारित कर दी जावे एवं उक्त अवधि के पश्चात ऐसे किसी भी प्रकरण पर विचार न किया जाये। अतएव म. प्र. राज्य विद्युत मण्डल एवं उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों के अंतर्गत राज्य/गैर राज्य स्तरीय संवर्गों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यदि पारस्परिक अदला बदली अथवा पति पत्नी के एक ही राज्य में सेवारत रहने, गृह राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी लाभों तथा महिला कर्मचारियों के पारिवारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में अपनी सेवाओं का स्थानांतरण छ.ग. राज्य चाहते/चाहती हैं तो आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2010 निर्धारित की जाती है एवं उक्त अवधि के पश्चात् ऐसे किसी भी प्रकरण पर विचार नहीं किया जावेगा। दोनों राज्य विद्युत मण्डलों/उनकी उत्तरवर्ती कंपनियों के संबंधित प्रशासकीय विभागों की सहमति से दिनांक 31 जुलाई, 2010 तक स्थानांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी ।

पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी आवेदनों पर वर्तमान में धारित पद के अनुसार विचार किया जावेगा ।

गृह राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी आरक्षण के लाभों के परिप्रेक्ष्य में अपनी सेवाओं का अंतरण चाहने वाले अभ्यावेदकों को मूल निवासी क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

पति–पत्नी के एक ही राज्य में सेवारत रहने वाले प्रकरणों के उनके संयुक्त निवेदन पर पति अथवा पत्नी को वही राज्य आवंटित करने पर विचार किया जावेगा।

पारस्परिक स्थानांतरण गृह राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी लाभों, पति–पत्नी के एक ही राज्य में सेवारत रहने तथा महिला कर्मचारियों की पारिवारिक कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में सेवाओं के स्थानांतरण संबंधी आवेदनों पर केन्द्रीय शासन द्वारा गठित राज्य सलाहकार समिति–विद्युत मंडल द्वारा दिनांक 11.2.2008 को जारी आवंटन की प्रक्रिया में दिये गये दिशा निर्देशों /प्रावधानों के आधार पर विचार किया जावेगा ।

स्थानांतरण के परिणामस्वरूप, संविलियन के पश्चात् राज्य/गैर–राज्य स्तरीय संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी की उत्तरवर्ती राज्य में सापेक्षिक ज्येष्ठता (रिलेटिव सीनियारिटी), मूल संवर्ग मे उसकी नियुक्ति/पदोन्नति की तारीख के अनुसार अंत में नियत की जाएगी, उदाहरणार्थ यदि संवर्ग में अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति/पदोन्नति का वर्ष 1994 है, तो उस राज्य/गैर–राज्य स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी का नाम जिसने स्थानांतरण पर पदभार ग्रहण किया है, संबंधित वर्ष 1994 में, उस संवर्ग में नियुक्त/पदोन्नत सभी राज्य/गैर–राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अंतिम नाम के नीचे रखा जाएगा तथा वर्ष 1995 में नियुक्त/पदोन्नत राज्य/गैर राज्य स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी के नाम से पहले रखा जाएगा । जहां तक वेतन एवं अन्य सेवा

संबंधी लाभों का प्रश्न है यह विषय उस उत्तरवर्ती राज्य विद्युत मण्डल/कंपनी जहां अधिकारी/कर्मचारी स्थानांतरण के पश्चात सेवारत होगा, में लागू प्रावधानों के आधार पर नियत होंगे । स्थानांतरण के पश्चात संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की उत्तरवर्ती राज्य विद्युत मण्डल/कंपनी में पदस्थापना पूर्णतः संबधित मंडल/कंपनी के विवेकाधीन होगी एवं इस संबंध में अधिकारी/कर्मचारी का कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी पारस्परिक अथवा पति–पत्नी के एक ही राज्य में सेवारत रहने, गृह राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी लाभों के परिप्रेक्ष्य में एवं महिला कर्मचारी पारिवारिक कठिनाइयों के आधार पर स्थानांतरण हेतु संलग्न प्रारूप (अ)/(ब)/(स) (अथवा) (द) में **अतिरिक्त सचिव (कार्मिक)–एक, म. प्र. राज्य विद्युत मण्डल, ब्लांक नंबर–14 शक्ति भवन रामपुर, जबलपुर–482 008** कार्यालय में दिनांक 30 जून, 2010 तक सीधे अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते/सकती हैं । उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । स्थानांतरण हेतु आवेदन के प्रारूप (अ), (ब), (स) एवं (द) की प्रतिलिपि मंडल की वेब साइट **www.mp.gov.in/energy/mpseb** पर भी उपलब्ध है । जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने पूर्व में विभिन्न माध्यमों से छत्तीसगढ राज्य आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये हैं एवं आवेदकों पर निर्णय नहीं हुआ है, उन्हें भी संबंधित निर्धारित प्रारूप में पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

उपरोक्तानुसार आवेदन प्रस्तुत किये जाने मात्र से स्थानांतरण का कोई आधार निर्मित नहीं होगा । स्थानांतरण पूर्णतः दोनों उत्तरवर्ती मंडलों/कंपनियों की प्रशासकीय सहमति के आधार पर होंगे ।

टीप – ऐसे अधिकारी/कर्मचारी
के आवेदन पर विचार नहीं किया
जावेगा, जिसकी प्रथम नियुक्ति
उत्तरवर्ती विद्युत मण्डल/पावर
कम्पनी के गठन के पश्चात् हुई हो।

आदेशानुसार

18.06.10
अतिरिक्त सचिव (कार्मिक)–एक
म. प्र. राज्य विद्युत मण्डल

कमांक 01–07/छ.ग./3168 **जबलपुर, दिनांक 18.06.2010**

प्रतिलिपिः

1. अवर सचिव, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल ।
2. अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक, म. प्र. पावर ट्रांसमिशन/जनरंटिंग/ट्रेडिंग/पश्चिम/पूर्व/मध्य क्षेत्र वि.वि.कं लिमि, इंदौर/जबलपुर/भोपाल ।
3. वित्तीय सलाहकार, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर ।
4. निदेशक (सतर्कता एवं सुरक्षा) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर ।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कार्मिक)/सचिवालय, म.प्र.रा.वि.मं. जबलपुर ।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (वित्त/लेखा) म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.जबलपुर।
7. समस्त कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता, म.प्र.रा.वि.मं/म.प्र.––––––––––कं.लिमि. ––––––––––––––।
8. कार्यपालक निदेशक (कम्प्यूटर सिस्टम एवं आटोमेशन), म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर ।
9.. कार्यपालक निदेशक (संपर्क), ई–4, अरेरा कालोनी भोजपुर क्लब के सामने, म.प्र.रा.वि.मं. भोपाल
10. निदेशक (वित्त/लेखा) म.प्र.रा.वि.मं/म.प्र.––––––––––कं.लिमि.––––––––––।
11. अतिरिक्त निदेशक (वित्त/लेखा/बैंक एवं अर्थ प्रबंध), म.प्र.रा.वि.मं. जबलपुर।
12. मुख्य अभियंता (कार्मिक)/अतिरिक्त सचिव, म.प्र. पावर ट्रांसमीशन/जनरेटिंग कं.लिमि. जबलपुर।
13. मुख्य महाप्रबंधक (एस), म. प्र. पावर ट्रेडिंग कंपनी .लिमि., जबलपुर ।
14. अतिरिक्त सचिव, म.प्र.पश्चिम/पूर्व/मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लिमि,इंदौर/जबलपुर/ भोपाल ।
15. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.रा.वि.मं. जबलपुर ।
16. जनसंपर्क अधिकारी/औद्योगिक संबंध अधिकारी, म.प्र.रा.वि.मं. जबलपुर ।

17. संयुक्त निदेशक (लेखा/पेंशन एवं भविष्य निधि/वित्त), म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कं. लिमि. /म.प्र.रा.वि.मं. जबलपुर ।
18. स्थानिक अभियंता,एम–13/ग्रीन पार्क मेन, गेस्ट हाउस, म.प्र.रा.वि.मं.,दिल्ली ।
19. विधि अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, म.प्र.रा.वि.मं/म.प्र.––––––कं.लिमि.––––––।
20. स्टाफ आफीसर/निज सचिव संबद्ध अध्यक्ष/अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक/वित्तीय सलाहकार/सचिव एवं गोपनीय अधिकारी, म.प्र.रा.वि.मं., जबलपुर ।
21. समस्त अनुभाग अधिकारी, कार्मिक एवं सचिवालय, म.प्र.रा.वि.मं., जबलपुर ।
22. ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, म.प्र.रा.वि.मं., जबलपुर ।

–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

18-06-10
संयुक्त सचिव (कार्मिक)
मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल,
जबलपुर.

प्रपत्र–अ

परिपत्र कमांक 01–07 / छ.ग. / 3167, दिनांक 18.06.2010 के तारतम्य में सेवाओं के छत्तीसगढ राज्य स्थानांतरण हेतु पारस्परिक अदला–बदली (MUTUAL TRANSFER) के आधार पर आवेदन

क.	उत्तरवर्ती विद्युत मंडल / पावर कंपनी में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी का नाम	एम्प्लाई नं.	पूर्ववर्ती विद्युत मंडल में प्रथम नियुक्ति की तिथि व पदनाम	वर्तमान पदनाम	पदस्थापना (कार्यालय)	वेतनमान	जन्म तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
1–अ							

हम यह मानते हैं कि उपरोक्तानुसार आवेदन प्रस्तुत करने मात्र से राज्य स्थानांतरण का हमारा कोई आधार निर्मित नहीं होता। दोनों राज्य विद्युत मण्डलों / कंपनियों के मध्य प्रशासकीय सहमति के आधार पर लिया गया निर्णय हमें मान्य होगा ।

हस्ताक्षर

(मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल / उसकी उत्तरवर्ती कंपनी में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी)

हस्ताक्षर

(छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल / उसकी उत्तरवर्ती कंपनी में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी)

टीप 1 – अनुकमांक कमांक– 1 में उस अधिकारी / कर्मचारी की जानकारी दी जावे जो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी में कार्यरत है एवं पारस्परिक स्थानातंरण के आधार पर छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल अथवा उसकी उत्तरवर्ती कंपनी में स्थानांतरण हेतु उत्सुक है, कमांक 1–अ पर उस अधिकारी / कर्मचारी की जानकारी दी जावे जो वर्तमान में छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल अथवा उसकी उत्तरवर्ती कंपनी में कार्यरत है एवं पारस्परिक स्थानातंरण के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी में स्थानांतरण हेतु उत्सुक है ।

टीप 2– ऐसे अधिकारी / कर्मचारी के आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा जिनकी प्रथम नियुक्ति उत्तरवर्ती विद्युत मंडल / पावर कंपनी के गठन के पश्चात् हुई हो।

प्रपत्र–ब

परिपत्र क्रमांक 01–07/छ.ग./3167, दिनांक 18.06.2010 के तारतम्य में सेवाओं के छत्तीसगढ राज्य स्थानांतरण हेतु अनु.जाति/अनु.जनजाति (गृह राज्य में आरक्षण का लाभ) आधार पर आवेदन

1. कार्मिक का नाम ....
2. एम्प्लाई नंबर ....
3. पदनाम (1.11.2000 की स्थिति में) ....
4. वर्तमान पदनाम ....
5. वेतनमान (1.11.2000 की स्थिति में) ....
6. वर्तमान वेतनमान ....
7. प्रशासकीय विभाग/संकाय ....
8. वर्तमान पदस्थापना (कार्यालय) ....
9. वर्ग–अ.जा./अ.ज.जा. ....
   (गृह राज्य/मूल निवासी क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. गृह राज्य ....
    (मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
11. क्या पूर्व में दिनांक 30.4.2001 के पूर्व छत्तीसगढ राज्य हेतु विकल्प प्रस्तुत किया था। यदि हां तो विकल्प की छायाप्रति संलग्न करें ....
12. किन कारणों से म.प्र. राज्य स्थानांतरण चाहते हैं–

    1. ....
    2. ....
    3. ....
    4. ....

मैं .... यह मानता हूं कि उपरोक्तानुसार आवेदन प्रस्तुत करने मात्र से राज्य स्थानांतरण का मेरा कोई आधार निर्मित नहीं होता । दोनों राज्य विद्युत मण्डलों /कंपनियों के मध्य प्रशासकीय सहमति के आधार पर लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा ।

(हस्ताक्षर)

<u>टीप</u> – ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा जिनकी प्रथम नियुक्ति उत्तरवर्ती विद्युत मंडल/पावर कंपनी के गठन के पश्चात् हुई हो।

<u>प्रपत्र–स</u>

परिपत्र क्रमांक 01–07 / छ.ग. / 3167, दिनांक 18.06.2010 के तारतम्य में सेवाओं के छत्तीसगढ राज्य स्थानांतरण हेतु पति–पत्नी (एक ही राज्य में सेवा हेतु) आधार पर आवेदन

1. कार्मिक का नाम ....
2. एम्प्लाई नंबर ....
3. पदनाम (1.11.2000 की स्थिति में) ....
4. वर्तमान पदनाम ....
5. वेतनमान (1.11.2000 की स्थिति में) ....
6. वर्तमान वेतनमान ....
7. प्रशासकीय विभाग / संकाय ....
8. वर्तमान पदस्थापना (कार्यालय) ....
9. क्या पूर्व में दिनांक 30.4.2001 के पूर्व छत्तीसगढ राज्य हेतु विकल्प प्रस्तुत किया था। यदि हां तो विकल्प की छायाप्रति संलग्न करें ....
10. किन कारणों से छ.ग. राज्य स्थानांतरण चाहते हैं–

    1. ....
    2. ....
    3. ....
    4. ....

11. पति अथवा पत्नी का नाम, पदनाम तथा विभाग की जानकारी ....

मैं .... यह मानता / मानती हूं कि उपरोक्तानुसार आवेदन प्रस्तुत करने मात्र से राज्य स्थानांतरण का मेरा कोई आधार निर्मित नहीं होता। दोनों राज्य विद्युत मण्डलों / कंपनियों के मध्य प्रशासकीय सहमति के आधार पर लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा ।

(हस्ताक्षर)
पति

(हस्ताक्षर)
पत्नी

<u>टीप</u> – ऐसे अधिकारी / कर्मचारी के आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा जिनकी प्रथम नियुक्ति उत्तरवर्ती विद्युत मंडल / पावर कंपनी के गठन के पश्चात् हुई हो।

प्रपत्र–द

परिपत्र क्रमांक 01–07 / छ.ग. / 3167, दिनांक 18.06.2010 के तारतम्य में सेवाओं के छत्तीसगढ राज्य स्थानांतरण हेतु **महिला कर्मचारी** आधार पर आवेदन

1.	कर्मचारी का नाम	....
2.	एम्प्लाई नंबर	....
3.	पदनाम (1.11.2000 की स्थिति में)	....
4.	वर्तमान पदनाम	....
5.	वेतनमान (1.11.2000 की स्थिति में)	....
6.	वर्तमान वेतनमान	....
7.	प्रशासकीय विभाग / संकाय	....
8.	वर्तमान पदस्थापना (कार्यालय)	....
9.	क्या पूर्व में दिनांक 30.4.2001 के पूर्व छत्तीसगढ राज्य हेतु विकल्प प्रस्तुत किया था। यदि हां तो विकल्प की छायाप्रति संलग्न करें	....

10. किन कारणों से म.प्र. राज्य स्थानांतरण चाहती हैं–

    1. ....
    2. ....
    3. ....
    4. ....

मैं .... यह मानती हूं कि उपरोक्तानुसार आवेदन प्रस्तुत करने मात्र से राज्य स्थानांतरण का मेरा कोई आधार निर्मित नहीं होता। दोनों राज्य विद्युत मण्डलों / कंपनियों के मध्य प्रशासकीय सहमति के आधार पर लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा ।

(हस्ताक्षर)

टीप – ऐसे अधिकारी / कर्मचारी के आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा जिनकी प्रथम नियुक्ति उत्तरवर्ती विद्युत मंडल / पावर कंपनी के गठन के पश्चात् हुई हो।